

पत्रांक 024 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18
रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ::28 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय लखनऊ।


रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-12/2017/176/74-2-2017-15(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-04-माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 8.33 लाख एवं शासनादेश संख्या-26/2017/644/74-2-2017-15(ब)/ 2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 11.67 लाख इस प्रकार कुल रू0 20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 11,67,000/- (रूपये ग्यारह लाख सरसठ हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।
3. मानक मद सं0-26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग के संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत, मुख्यालय को यह निर्देश दिया जाता है, कि वे परिक्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क कर क्रय किये जाने वाले उपकरणों का चयन करते हुए मुख्यालय स्तर पर ई-टेंडर आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर व्यय करना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाए।
7. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
8. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये शर्तों/नियमों के अनुसार किया जाए।
10. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-04-माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-55 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।



 (अनिल कुमार यादव)
 निदेशक(रेशम)

पत्रांक सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र०, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम एवं उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
6. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
7. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय 30प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 (अमितोष श्रीवास्तव)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 025 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 28 अगस्त, 2017 का अनुलानक

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्योगिक एवं रेशम विकास)

4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-04-माडल चाकी कौटपालन राहतूत उद्योगों की स्थापना योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति धनराशि का जनपदवार एवं मदवार फॉट का विवरण

(धनराशि रूपये में)

क0 स0	आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम	जनपद	कोषागार का नाम	मदवार धनराशि का आवंटन		योग	पूर्व में आवृत्त धनराशि	प्रणामी योग
				25-लघु निर्माण कार्य	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र			
1	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदेशालय, मुल्खालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	292000	875000	1167000	833000	2000000
		योग		292000	875000	1167000	833000	2000000

(रूपये ग्यारह लाख सससठ हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

4	8	5	1	0	0	1	0	7	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(आमतोष श्रीवास्वत)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी